न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :—   31 / 2025

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

—:बनाम:—

अप्रार्थी—1
प्रवीण कुमार मिगलानी पुत्र रोशनलाल (विक्रेता)
मैसर्सः—गौरव प्रोविजन स्टोर, गोलूवाला रोड़, पक्कासहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 17, गुरूद्धारा के पास, 24 एलएलडब्ल्यू—ए, पक्कासहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी—2
रोहित गर्ग पुत्र सुरेन्द्र (होलसेलर)
मैसर्सः—यश ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नं. जे—13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर।
निवासीः—मकान नं. 449, होमलैंड सिटी, श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी—3
पवन कुमार चलाना (निर्माण इकाई)
मैसर्सः—पारस इण्डस्ट्रीज, माइल स्टोन 172 / 7, पीपेरन, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।
निवासीः—वार्ड नं. 32, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थीयान

<u>खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51 एवं 58</u>

उपस्थितः—

1. श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. श्री रघुवीर वर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीयान।

—:निर्णयः—

दिनांक :—31.07.2025

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुदेश कुमार गर्ग दिनांक 14.07.2023 को समय 01.10 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—गौरव प्रोविजन स्टोर, गोलूवाला रोड़, पक्का सहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर प्रवीण कुमार मिगलानी पुत्र रोशनलाल (मालिक एवं विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 17, गुरूद्धारा के पास, 24 एलएलडब्ल्यू ए, पक्कासहारणा, तहसील व जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते अलमारी की रैक में लगभग 25 पैकेट X 625 ग्राम वजनी Achar Masala (Ved Nidhi Brand) रखा हुआ था। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर विक्रेता से 04 पैकेट X 625 ग्राम वजनी Achar Masala (Ved Nidhi Brand) नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Achar Masala (Ved Nidhi Brand) के खरीद मूल का 360 / —रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद / कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Achar Masala (Ved Nidhi Brand) कुल 04 पैकेट X 625 ग्राम वजनी पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कर चिपकाया ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके—2751 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—2751 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1049 दिनांक 27.07.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food & Contravenes of Regulation प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/12996–97 दिनांक 03.08.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2024/4784 दिनांक 03.04.2024 द्वारा खाद्य विक्रेता गौरव प्रोविजन स्टोर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Achar Masala (Ved Nidhi Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके प्रतिउतर में खाद्य विक्रेता द्वारा मैसर्सः–यश ट्रेडिंग कंपनी (होलसेलर) दुकान नं. जे–13, बड़ा बाजार, श्रीगंगानगर का क्रय बिल प्रस्तुत किया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक एफएसएसए/2024/8310 दिनांक 26.06.2024 द्वारा खाद्य होलसेलर विक्रेता मैसर्स–यश ट्रेडिंग कंपनी को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाईसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसके प्रतिउतर में खाद्य होलसेलर विक्रेता द्वारा मैसर्स–पारस इण्डस्ट्रीज (निर्माण इकाई) माइल स्टोन 172/7, पीपरेन, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर का क्रय बिल प्रस्तुत किया गया। पारस इण्डस्ट्रीज (निर्माण इकाई) का खाद्य लाईसेंस एवं उतरदायी व्यक्ति का फोस्कोस ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त कर संबंधित को अभियोजन में शामिल किया गया। आवेदक द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थीयान ने Substandard Food & Contravene of Regulation खाद्य पदार्थ Achar Masala (Ved Nidhi Brand) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 एवं धारा 58 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर Achar Masala (Ved Nidhi Brand) विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थीयान–01 एवं 02 द्वारा कथन किया कि वह निर्माता नहीं है। अभिभाषक अप्रार्थीयान–03 ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त पदार्थ में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं की गई है। सिर्फ नमक की मात्रा ही ज्यादा पाई गई है जो कि स्थानीय नागरिकों के स्वादानुसार ही मिलाया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ नहीं पाया गया है जो मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो। अभिभाषक अप्रार्थीयान ने कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Achar Masala (Ved Nidhi Brand) की जांच में Substandard & Contravenes of Regulation की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard & Contravenes of Regulation Achar Masala (Ved Nidhi Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard & Contravenes of Regulation कृत्य के लिए धारा 51 एवं 58 के तहत अप्रार्थीयान–01, 02 एवं 03 पर संयुक्त रूप से 10,000/–(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़